आदेश

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 94/18–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46)

मारग्रेट केरकेट्टा(भेंगरा) – विक्रेता

नूपुर सरिता होरो – क्रेता

वाद की क्रम संख्या और तारीख

22.06.18

आवेदक मारग्रेट केरकेट्टा(भेंगरा) पिता (पति) स्व0 सुखलाल केरकेट्टा ग्राम खूँटी कटहल टोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के द्वारा निम्नलिखित भूमि को क्रेता नूपुर सरिता होरो पिता प्रेमलाल होरो ग्राम प्रेम नगर खूँटीटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा को विक्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा/प्लॉट नं0	रकवा (एकड़ में)
खूँटी	83	03	1395	1.03

आवेदक/आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त भूमि उनकी रैयती हक–हिस्से/स्वामित्व की भूमि है।

प्राप्त आवेदन पत्र की एक प्रति एवं आम इशितहार की दो प्रति अंचल अधिकारी, खूँटी को भेजें एवं जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, खूँटी दिनांक 09.07.18 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

क्रे ता एवं वि क्रे ता अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड/आवासीय प्रमाण पत्र न्यायालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अभिलेख दिनांक 09.07.18 को रखे।

22.6.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

09.07.18 उभय पक्ष अनुपस्थित। नोटिस का तामिला अप्राप्त। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त। अगली तिथि 12.07.18 को रखें।

भू० सु० उ०

12.07.18 उभय पक्ष उपस्थित। नोटिस का तामिला प्राप्त। उभय पक्ष का आधार कार्ड एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त। अभिलेख संचित किया जाता है।

भू० सु० उ०

...यालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 94/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मारग्रेट केरकेट्टा(भेंगरा) – विक्रेता

नूपूर सरिता होरो – क्रेता

...ज्ञा क्रम ...ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
22.10.18	**आदेश**	

आवेदक मारग्रेट केरकेट्टा(भेंगरा) पति स्व0 सुखलाल केरकेट्टा ग्राम खूँटी कटहल टोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने नूपूर सरिता होरो पिता प्रेमलाल होरो ग्राम प्रेमनगर खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
खूँटी	83	03	1395	1.03

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0774955821 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 610 दिनांक 09.07.18 एवं पत्रांक 806 दिनांक 26.09.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि दान द्वारा प्राप्त है। खतियानी रैयत का नाम बड़ाईक हरगोबिन्द सिंह हैं। पंजी II के अनुसार मारग्रेट भेंगरा है। आवेदक के पास रकवा 1.16½ एकड़ अन्य अंचल में रकवा 4.16½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 161314.00(एक लाख एकसठ हजार तीन सौ चौदह)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 0.13½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन के श्रेणि में आ जाते हैं।

आवेदक के द्वारा अन्य अंचल में भूमि होने का साक्ष्य के रूप में भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं दिये है। क्रेता द्वारा दिये गये जाति प्रमाण पत्र सं0 JHCC 2017/542373 दिनांक 31.05.17 के अनुसार इनका जाति प्रमाण पत्र ग्राम जलटंडा अंचल मुरहू है। इस प्रकार वे ग्राम खूँटी के स्थायी निवासी नहीं है। ऐसे में भूमि क्रय–विक्रय की अनुमति देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन को अस्वीकृत की जाती है।

अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

22/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।